


09.12.2024:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता का मूल वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी खारिज हो चुका है। मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र मे जारी स्थगन आदेश वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एव उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

